रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 276] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 16, 2008/वैशाख 26, 1930
No. 276] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 16, 2008/VAISAKHA 26, 1930

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2008

सा.का.नि. 384(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय श्रम सेवा नियम, 1987 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, केन्द्रीय श्रम सेवा में भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय श्रम सेवा (समूह 'क') नियम, 2007 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं**- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है ;

(ख) "नियंत्रक प्राधिकारी" से भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय अभिप्रेत है ;

(ग) "विभागीय प्रोन्नति समिति" से ऐसी समिति अभिप्रेत है जो अनुसूची - IV में यथाविनिर्दिष्ट किसी श्रेणी में प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के लिए इन नियमों के अधीन गठित की गई है ;

(घ) "ड्यूटी पद" से ऐसा कोई पद अभिप्रेत है, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, जो अनुसूची- I में सम्मिलित है ;

(ङ) "श्रेणी" से सेवा की कोई श्रेणी अभिप्रेत है ;

(च) किसी श्रेणी के संबंध में, "नियमित सेवा" से किसी श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए अनुसूची-III में विहित प्रक्रिया के अनुसार उस श्रेणी में चयन के पश्चात् की गई सेवा की अवधि या अवधियां अभिप्रेत हैं और इसमें वह अवधि या अवधियां सम्मिलित हैं-

(i) जिस पर नियम 5 के अनुसार नियुक्त उन व्यक्तियों की दशा में ज्येष्ठता के प्रयोजनों के लिए विचार किया जाएगा ; और

(ii) जिसके दौरान कोई अधिकारी उस श्रेणी में ड्यूटी पद धारण करता किन्तु जो छुट्टी पर रहने के कारण या अन्यथा उस पद को धारण करने के लिए उपलब्ध नहीं था ।

(छ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ज) "अनुसूचित जाति" और "अनुसूचित जनजातियों" का क्रमश: वह अर्थ होगा जो उनका संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और खंड (25) में है ;

(झ) "सेवा" से नियम 3 के अधीन गठित केन्द्रीय श्रम सेवा (समूह 'क') अभिप्रेत है ।

3. सेवा का गठन- (1) केन्द्रीय श्रम सेवा (समूह 'क') के रूप में ज्ञात एक सेवा का गठन किया जाएगा जिसमें नियम 5 और नियम 7 के अधीन सेवा में नियुक्त सदस्य होंगे ।

(2) सेवा में सम्मिलित सभी पद समूह 'क' पद होंगे ।

4. सेवा के सदस्य - निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे, अर्थात् :—

1. (क) ऐसे व्यक्ति जिन्हें नियम 6 के अधीन ड्यूटी पदों पर नियुक्त किया समझा गया है ; और

(ख) ऐसे व्यक्ति जिन्हें नियम 7 के अधीन ड्यूटी पदों पर नियुक्त किया गया है ।

2. उपनियम (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उसकी नियुक्ति की तारीख से उसको लागू समुचित श्रेणी में सेवा का सदस्य होगा ।

5. प्रारंभिक गठन— (1) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को ऐसे अधिकारियों की सेवा को, जो अनुसूची -I में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न श्रेणियों में केन्द्रीय श्रम सेवा नियम, 1987 के अधीन नियमित आधार पर पहले ही नियुक्त किए जा चुके हैं और इस प्रकार नियुक्त अधिकारी, सेवा के प्रारंभिक गठन से संबंधित श्रेणियों में नियुक्त किए गए समझे जाएंगे ।

(2) इन नियमों के प्रकाशन से पूर्व उपनियम (1) में दी गई संबंधित तत्समान श्रेणियों में वर्णित अधिकारियों की नियमित सतत सेवा को ज्येष्ठता, पुष्टि, प्रोन्नति और पेंशन के प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा के रूप में संगणित किया जाएगा ।

6. श्रेणी, प्राधिकृत सं0 और उसका पुनर्विलोकन - (1) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित ड्यूटी पद उनकी संख्या और उनके वेतनमान वे होंगे, जो अनुसूची- I में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात् विभिन्न श्रेणियों में ड्यूटी पदों की प्राधिकृत स्थायी संख्या वह होगी, जो समय-समय पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए ।

(3) केन्द्रीय सरकार, विभिन्न श्रेणियों में ड्यूटी पदों की संख्या में अस्थायी वृद्धि या कमी, जो समय-समय पर आवश्यक समझी जाए, कर सकेगी ।

(4) केन्द्रीय सरकार, आयोग से परामर्श कर के, अनुसूची- I में सम्मिलित पदों से भिन्न किसी पद को सेवा में सम्मिलित कर सकेगी या उक्त अनुसूची में सम्मिलित किसी पद को सेवा से अपवर्जित कर सकेगी ।

(5) केन्द्रीय सरकार, आयोग से परामर्श करके, ऐसे अधिकारी को, जिसका पद उपनियम (4) के अधीन सेवा में सम्मिलित है, किसी अस्थायी या अधिष्ठायी हैसियत में, जो वह ठीक समझे, सेवा की समुचित श्रेणी में नियुक्त कर सकेगी और उस सदृश्य श्रेणी में उसकी निरंतर नियमित सेवा पर विचार करने के पश्चात् उस श्रेणी में उसकी ज्येष्ठता नियत कर सकेगी ।

7. सेवा का भावी अनुरक्षण— अनुसूची- I में निर्दिष्ट किन्हीं श्रेणियों के पद, इस नियम में उपबंधित रीति से भरे जाएंगे और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति की तारीख से संबंधित श्रेणियों में सेवा के सदस्य होंगे ।

(क) सेवा के कनिष्ठ काल-वेतनमान में साठ प्रतिशत पद, अनुसूची- II में यथाविनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हता और आयु सीमा के आधार पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे और शेष चालीस प्रतिशत पद, अनुसूची - III में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक सेवा सहित कल्याण प्रशासक और श्रम अधिकारिता अधिकारी (केन्द्रीय) के पद धारण करने वाले निम्नतर श्रेणी के ऐसे अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा भरे जाएंगे ।

(ख) ज्येष्ठ काल-वेतनमान में सभी पद और उससे उच्च पदों को अनुसूची - III में यथाविनिर्दिष्ट भर्ती की पद्धति, चयन का क्षेत्र और न्यूनतम अर्हक सेवा के अनुसार भरा जाएगा ।

(ग) अधिकारियों की प्रोन्नति, निम्नलिखित दशा के सिवाय 'चयन' द्वारा की जाएगी, अर्थात् :—

उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)/कल्याण आयुक्त/कल्याण आयुक्त (मुख्यालय)/ श्रम कल्याण आयुक्त/निदेशक (प्रशिक्षण) और सेवा की कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में समतुल्य को अकृत्यिक चयन श्रेणी,

समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार उनकी उपयुक्तता पर आधारित ज्येष्ठता के क्रम में प्रदान की जाएगी ।

(घ) सेवा के प्रत्येक पद पर प्रोन्नति द्वारा भर्ती, अनुसूची-IV में यथाविनिर्दिष्ट विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों पर की जाएगी ।

8. **ज्येष्ठता**- (1) नियम 5 के अधीन सेवा के प्रारंभिक गठन के समय किसी श्रेणी में नियुक्त अधिकारियों की सापेक्ष ज्येष्ठता, इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को अभिप्राप्त अनुसार होगी :

परंतु यदि किसी ऐसे सदस्य की ज्येष्ठता उक्त तारीख को विनिर्दिष्ट रूप से अवधारित नहीं की गई थी तो वह ज्येष्ठता नियतन को शासित करने वाले उन नियमों के आधार पर अवधारित की जाएगी, जो इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व सेवा के सदस्यों को लागू थे ।

(2) नियम 5 के अधीन नियुक्त व्यक्तियों से भिन्न सेवा में भर्ती अधिकारियों की ज्येष्ठता का अवधारण, समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए साधारण अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा ।

(3) उन मामलों में जहां अधिकारी उपनियम (1) और उपनियम (2) के अंतर्गत में नहीं आते हैं, वहां ज्येष्ठता का अवधारण, केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से किया जाएगा ।

9. **परिवीक्षा** - (1) सेवा के कनिष्ठ काल-वेतनमान के पद पर नियुक्त प्रत्येक अधिकारी, दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा :

परंतु नियंत्रण प्राधिकारी, सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि को बढ़ा सकेगा ;

परंतु यह और कि परिवीक्षा की अवधि, बढ़ाने का कोई विनिश्चय, परिवीक्षा की प्रारंभिक अवधि की समाप्ति के पश्चात् तुरंत किया जाएगा और साधारणतया आठ सप्ताह के भीतर तथा संबद्ध अधिकारी को ऐसा करने के कारणों के साथ लिखित रूप में उक्त अवधि के भीतर संसूचित किया जाएगा ।

(2) परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर या उसके किसी विस्तार पर, अधिकारियों को, यदि उन्हें स्थायी नियुक्ति के उपयुक्त समझा जाता है तो सेवा में उनकी पुष्टि कर दी जाएगी ।

(3) यदि, यथास्थिति, परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तार के दौरान, नियंत्रण प्राधिकारी की यह राय है कि कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो नियंत्रण प्राधिकारी, यथास्थिति, उसे सेवोन्मुक्त कर सकेगा या उसे सेवा में उसकी नियुक्ति के पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगा ।

(4) परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तार के दौरान, किसी अधिकारी से नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण और अनुदेशों को प्राप्त करने या ऐसी परीक्षाएं या परीक्षण (जिनमें हिन्दी में परीक्षा भी सम्मिलित है) उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जा सकेगी जो नियंत्रण प्राधिकारी, परिवीक्षा के संतोषजप्रद रूप से पूरी करने की शर्त के रूप में ठीक समझे ।

(5) परिवीक्षा से संबंधित अन्य ऐसे मामलों के संबंध में, जो इन नियमों के अंतर्गत में नहीं आते हैं, सेवा के सदस्य, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किए गए आदेशों, अनुदेशों द्वारा शासित होंगे ।

10. **भारत के किसी भी भाग में सेवा का दायित्व और सेवा की अन्य शर्तें**- (1) सेवा में नियुक्त अधिकारी, भारत में कहीं भी या भारत से बाहर सेवा करने के दायित्व के अधीन होंगे ।

(2) सेवा में नियुक्त कोई अधिकारी, यदि इस प्रकार अपेक्षा की जाए, तो चार वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए, जिसमें प्रशिक्षण में व्यतीत अवधि भी सम्मिलित है, यदि कोई है, किसी रक्षा सेवा में या भारत की रक्षा से संबंधित किसी पद पर सेवा करने के दायित्व के अधीन होगा :

परंतु ऐसे अधिकारी से-

(क) सेवा में उसकी नियुक्ति की तारीख से दस वर्षों की समाप्ति के पश्चात् यथा-पूर्वोक्त सेवा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ;

(ख) यदि वह चालीस वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है तो सामान्यतया उससे यथा-पूर्वोक्त सेवा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

(3) उन विषयों की बाबत, जिनके लिए इन नियमों में कोई विशिष्ट उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तें वही होंगी जो केन्द्रीय सिविल सेवा के समूह 'क' अधिकारियों को समय-समय पर लागू होती हैं ।

11. निरर्हता : वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

12. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

13. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

14. निर्वचन- यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न पैदा होता है तो वह आयोग के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाएगा ।

15. (1) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से ही, केन्द्रीय श्रम सेवा नियम, 1987, जहां तक उनका संबंध उन पदों से जिनको ये नियम लागू होते हैं, निरसित किए जाते हैं ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित किए गए नियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

अनुसूची-I

[नियम 2(घ), नियम 4(i) ; नियम 5, नियम 6(क) और नियम 7 देखिए]

केन्द्रीय श्रम सेवा (समूह 'क') की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलत ड्यूटी पदों के नाम, संख्या और वेतनमान

क्र.सं.	श्रेणी और पदाभिधान	पदों की संख्या *	वेतनमान
1	2	3	4
1.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (एसएजी) [मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय)]	1	18,400-500-22,400/-रु0
2.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (एनएफएसजी)		14,300-400-18,300/-रु0
3.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (जेएजी) [उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय)/(कल्याण आयुक्त)/कल्याण आयुक्त (मुख्यालय)/श्रम कल्याण आयुक्त/ निदेशक (प्रशिक्षण)]	36**	12,000-375-16,500/-रु0
4.	ज्येष्ठ काल-वेतनमान(एसटीएस) [प्रादेशिक श्रमायुक्त (केन्द्रीय)/(उप श्रम कल्याण आयुक्त) (केन्द्रीय)/ उप कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय)]	112	10,000-325-15,200/-रु0
5.	कनिष्ठ काल-वेतनमान (जेटीएस) [सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय)/(सहायक श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय)/(सहायक कल्याण आयुक्त/सहायक निदेशक] (जेटीएस में दिखाए गए पदों में प्रतिनियुक्ति, प्रशिक्षण और छुट्टियों के लिए आरक्षित पद भी सम्मिलित हैं)	194	8000-275-13,500/-रु0
		343	

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।

** 14300-400-18,300/-रु0 के वेतनमान में 'अकृत्यिक द्वितीय श्रेणी' में पदों की संख्या को ज्येष्ठ ड्यूटी पदों (अर्थात् 10,000-325-15,200/-रु0 या उससे अधिक के वेतनमान के पदों) के 30 प्रतिशत तक निर्बंधित किया जाएगा । 'अकृत्यिक चयन श्रेणी' में प्रवर्तित काडर की कुल संख्या और पदों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी ।

अनुसूची -II
(नियम 7 का उपनियम 2 देखिए)

केन्द्रीय श्रम सेवा (समूह 'क') नियमों के अनिष्ठ काल - वेतनमान वाले पदों पर सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता, अनुभव और आयु-सीमा निम्न प्रकार होगी:--

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समतुल्य ।

(ii)किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से सामाजिक कार्य/श्रम कल्याण/औद्योगिक संबंध/कार्मिक प्रबंधन/श्रम विधि में डिप्लोमा या समतुल्य

वांछनीय :

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की विधि में डिग्री ।

टिप्पण 1 :- अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं ।

टिप्पण 2 :- अनुभव संबधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) । जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

आयु-सीमा : 35 वर्ष से अनधिक ।

टिप्पण 1-- केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।

टिप्पण 2-- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

अनुसूची -III
(नियम 7 का उपनियम (2) और उपनियम (3) देखिए)

केन्द्रीय श्रम सेवा (समूह 'क') की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित ड्यूटी पदों पर, प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए भर्ती की पद्धति, चयन का क्षेत्र

क्र.सं.	पद का नाम	भर्ती की पद्धति	चयन का क्षेत्र और प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा
1	2	3	4
1.	**ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (एसएजी)** मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय)	प्रोन्नति द्वारा (चयन आधार पर)	प्रोन्नति ऐसे उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय)/कल्याण आयुक्त/कल्याण आयुक्त (मुख्यालय)/निदेशक (प्रशिक्षण)-श्रम कल्याण आयुक्त जिन्होंने कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (एनएफएसजी) पदों पर की गई सेवा सहित, यदि कोई हो, उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है ।
2.	**एनएफएसजी** अकृत्यिक चयन श्रेणी (एनएफएसजी)	अचयन	12000-16500/-रु0 के वेतनमान में के ऐसे कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जो उस वर्ष की 1 जनवरी को चौदहवें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और समय-समय पर जारी किए गए केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों द्वारा अधिकथित मानदंडों को पूरा करते हैं ।
3.	**कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (जेएजी)** [उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय)/कल्याण आयुक्त/कल्याण आयुक्त (मुख्यालय)/श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय)/ निदेशक (प्रशिक्षण)]	प्रोन्नति द्वारा (चयन आधार पर)	प्रोन्नति : ज्येष्ठ काल-वेतनमान श्रेणी के ऐसे अधिकारी, जिन्होंने 10,000-15,000/-रु0 के वेतनमान में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ।
4.	ज्येष्ठ काल - वेतनमान (एसटीएस) [प्रादेशिक श्रमायुक्त (केन्द्रीय)/उप श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय)/ उप कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय)]	प्रोन्नति द्वारा (चयन आधार पर)	प्रोन्नति : कनिष्ठ काल-वेतनमान श्रेणी के ऐसे अधिकारी, जिन्होंने 8000-13500/-रु0 के वेतनमान में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ।
5.	कनिष्ठ काल वेतनमान (जेटीएस) [सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय)/(सहायक श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय)/(सहायक कल्याण आयुक्त(केन्द्रीय)/सहायक	60% सीधी भर्ती द्वारा । 40% प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : 15% (40% का) प्रोन्नति, ऐसे कल्याण प्रशासक से जिसने 6500-10500/- रु0 के वेतनमान में, उस श्रेणी में, पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जो किसी मान्यताप्राप्त [illegible]

	निदेशक]		विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य रखता है, और 85% (40% का) प्रोन्नति, ऐसे श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) से जिसने 6500-10500/- रु0 के वेतनमान में, उस श्रेणी में, पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य रखता है ।

टिप्पण 1-- ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है ।

टिप्पण 2-- पोषक प्रवर्ग के ऐसे अधिकारी जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को कल्याण प्रशासक और श्रम प्रवर्तन अधिकारी के पद धारण किए हुए हैं वे शैक्षिक अर्हताओं की डिग्री या समतुल्य के रखने से छूट प्राप्त हैं ।

अनुसूची -IV
(नियम 7 का उपनियम (4) देखिए)

केन्द्रीय श्रम सेवा के समूह 'क' अधिकारियों की प्रोन्नति और पुष्टि के मामलों पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना

क्र.सं.	पद का नाम	प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति
1	2	3	4
1.	**ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (एसएजी)** {मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय)}	(i) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—**अध्यक्ष** (ii) सचिव, श्रम और रोजगार -- **सदस्य** (iii) अपर सचिव / संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय -- **सदस्य**	लागू नहीं होता
2.	**एनएफएसजी** अकृत्यिक चयन श्रेणी	(i) सचिव (श्रम और रोजगार) --**अध्यक्ष** (ii) संयुक्त सचिव, श्रम मंत्रालय -- **सदस्य** (iii) मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) -- **सदस्य** (iv) महानिदेशक, श्रम कल्याण- **सदस्य**	लागू नहीं होता
3.	**कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (जेएजी)** [उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय)/(कल्याण आयुक्त)/कल्याण आयुक्त (मुख्यालय)/श्रम कल्याण आयुक्त/ निदेशक (प्रशिक्षण)]	(i) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग--**अध्यक्ष** (ii) अपर सचिव / संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय -- **सदस्य** (iii) मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) -- **सदस्य**	लागू नहीं होता
4.	ज्येष्ठ काल-वेतनमान (एसटीएस) [प्रादेशिक श्रमायुक्त (केन्द्रीय)/उप श्रम कल्याण आयुक्त) (केन्द्रीय/ उप कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय)]	(i) सचिव (श्रम और रोजगार) --**अध्यक्ष** (ii) संयुक्त सचिव, श्रम मंत्रालय -- **सदस्य** (iii) मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) -- **सदस्य**	लागू नहीं होता

1818 GI/13-2

5.	कनिष्ठ काल-वेतनमान (जेटीएस) [सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय)/सहायक श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय)/ सहायक कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय)/ सहायक निदेशक]	(i) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग-अध्यक्ष (ii) अपर सचिव / संयुक्त सचिव, श्रम मंत्रालय-सदस्य (iii) मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) - सदस्य	(i) अपर सचिव / संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय अध्यक्ष (ii) मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) सदस्य (iii) निदेशक/उप सचिव, श्रम मंत्रालय सदस्य

[फा. सं. ए. 12018/2/2004-सीएलएस-I]

सिद्धार्थ देव वर्मन, संयुक्त सचिव

टिप्पणी 1 : आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य से भिन्न किसी सदस्य की अनुपस्थिति से समिति की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी । यदि समिति के आधे से अधिक सदस्य उसकी बैठक में उपस्थित थे।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2008

G.S.R. 384(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Labour Service Rules, 1987, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment and other conditions of Service to the Central Labour Service, namely:—

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Central Labour Service (Group `A') Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) " Commission" means the Union Public Service Commission;

(b) " Controlling Authority" means the Central Government in the Ministry of Labour and Employment;

(c) "Departmental Promotion Committee" means a Committee constituted under these rules to consider promotion and confirmation of officers in any grade as specified in Schedule-IV;